बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

(मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग)

निबंधित कार्यालयः–विद्युत भवन, बेली रोड, पटना

Contact No:7763817975, 7763818077, email-hr.admin@bsptcl.bihar.gov.in, website-www.bsptcl.in

CIN-U74110 BR 2012 SGC 018889

कार्यालय आदेश सं० 289 **/ पटना,** **दिनांकः–** 11/06/26

T-V/Alleg–1622 / 2025

सुश्री के० एम० राधा यादव [E15441/1000883], तदेन तकनीकी कोटि–I, 132 / 33 के० वी० ग्रिड उपकेन्द्र, बक्सर सम्प्रति तकनीकी कोटि–I, 132 / 33 के० वी० ग्रिड उपकेन्द्र, शिवहर के 132 / 33 के० वी० ग्रिड उपकेन्द्र, बक्सर में पदस्थापन काल में अपने सहकर्मी से बार–बार झगड़ा करने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, कार्यालय कार्य में बाधा पहुँचाने, पाली कार्य को बीच में ही छोड़कर चले जाने, सहकर्मियों पर झूठा आरोप लगाने आदि के प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित आरोपों के लिए उनके विरूद्ध बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के कार्यालय आदेश संख्या–178 दिनांक–30.04.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में श्री रतन कुमार, तदेन महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण ज़ोन, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री अनंत देव शरण, प्रशासी पदाधिकारी, संचरण ज़ोन, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया। श्री रतन कुमार, संचालन पदाधिकारी द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या–278 दिनांक–31.07.2025 द्वारा श्री रतन कुमार के स्थान पर श्री शंकर कुमार, तदेन मुख्य अभियंता, एस० टी० एफ० सम्प्रति महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण ज़ोन, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. श्री शंकर कुमार, संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–01 दिनांक–06.01.2026 द्वारा अंतिम जाँच प्रतिवेदन दिनांक–31.12.2025 समर्पित किया गया। अनुशासनिक कार्रवाई में सुश्री के० एम० राधा यादव के विरूद्ध कुल 05 (पाँच) आरोप लगाये गये, जो निम्नांकित हैं :–

आरोप–01 132 / 33 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र, बक्सर में कार्यरत तकनीकी कर्मियों द्वारा दिनांक–10.08.2024, 28.11.2024, एवं 08.12.2024 को सुश्री के०एम० राधा यादव, तकनीकी कोटि–I के विरूद्ध लिखित रूप में शिकायत पत्र समर्पित करते हुए सहकर्मियों के साथ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने, सिनियारिटी का धौंस दिखाकर प्रताड़ित करने, सहकर्मियों द्वारा पूछे जाने पर उल्टा–पुल्टा जवाब देने, अपनी पाली के पश्चात् अगली पाली के कर्मियों द्वारा पूछे जाने पर ग्रिड से संबंधित वस्तुस्थिति की सही जानकारी नहीं देने, ग्रिड में सहकर्मियों के उपस्थित रहने के बावजूद भी कंट्रोल रूम में मोबाईल आवास पर घंटो तक रखने, कंट्रोल रूम में रखे दस्तावेजों का बिना अनुमति फोटो खीचने तथा बेवजह संगीन मामलों में फसाने का आरोप समर्पित किया गया। सुश्री कुमारी का उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन, संशोधित प्रमाणित स्थायी आदेश के सुसंगत प्रावधानों एवं बिहार सरकारी सेवक, आचार नियमावली 1976 की कंडिका–3 के तहत कदाचार का द्योतक है।

आरोप–02 132 / 33 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र, बक्सर में दिनांक–28.01.2025 की रात्रि पाली में तकनीकी कर्मियों के बीच आपसी झड़प की घटना घटित हुई। दिनांक–29.01.2025 को कनीय विद्युत अभियंता, 132 / 33 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र, बक्सर के द्वारा नियंत्रण कक्ष में जाकर दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया। श्रीमती के०एम० साधना, तकनीकी कोटि–I, श्रीमती अमृता मौर्य, तकनीकी कोटि–II को बुलाकर मामले की जानकारी जब कनीय विद्युत अभियंता द्वारा लेनी चाही तो उसी दरम्यान सुश्री के०एम० राधा यादव, तकनीकी कोटि–I के द्वारा बिना वरीय पदाधिकारियों को सूचना दिये इटारी थाना पुलिस को बुला लिया गया। सुश्री कुमारी का उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन, संशोधित प्रमाणित स्थायी आदेश की कंडिका–29 (B) की उप कंडिका–(a), (g), (j) एवं बिहार सरकारी सेवक, आचार नियमावली 1976 की कंडिका–3 के तहत कदाचार का द्योतक है।

कृ०पृ०उ०

आरोप–03 सुश्री यादव के उक्त व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए दिनांक–27.11.2024 को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, भोजपुर के द्वारा ग्रिड उपकेन्द्र, बक्सर आ कर सुश्री यादव से बात–चीत कर समस्याओं को सुलझाने हेतु काफी प्रयास किया गया, परन्तु श्री यादव के व्यवहार एवं आदत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सुश्री कुमारी का उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन, संशोधित प्रमाणित स्थायी आदेश की कंडिका–29 (B) की उप कंडिका–(a), (g), (j) एवं बिहार सरकारी सेवक, आचार नियमावली 1976 की कंडिका–3 के तहत कदाचार का द्योतक है।

आरोप–04 सुश्री यादव द्वारा उक्त ग्रिड में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं तकनीकी कर्मियों को डराने के उद्देश्य से ग्रिड के Whatsapp group में 164A लिखा गया। विदित हो कि 164A सी० आर० पी० सी० के अंतर्गत एक संज्ञेय धारा है। सुश्री कुमारी का उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन, संशोधित प्रमाणित स्थायी आदेश के संशोधित प्रमाणित स्थायी आदेश की कंडिका–29 (B) की उप कंडिका–(a), (g), (j) एवं बिहार सरकारी सेवक, आचार नियमावली 1976 की कंडिका–3 के तहत कदाचार का द्योतक है।

आरोप–05 सुश्री यादव के उक्त आचरण के कारण 132/33 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र, बक्सर में तकनीकी कर्मियों के बीच भय का वातावरण उत्पन्न हो गया तथा ग्रिड का कार्यकलाप प्रभावित हुआ। सुश्री कुमारी का उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन, संशोधित प्रमाणित स्थायी आदेश के संशोधित प्रमाणित स्थायी आदेश की कंडिका–29 (B) की उप कंडिका–(a), (g), (j) एवं बिहार सरकारी सेवक, आचार नियमावली 1976 की कंडिका–3 के तहत कदाचार का द्योतक है।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन दिनांक–31.12.2025 में उपरोक्त लगाये गये आरोप संख्या–01, 04 एवं 05 के कुछेक आरोपों को छोड़कर सभी आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया तथा आरोप संख्या–02 एवं 03 आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, उपस्थापन पदाधिकारी के लिखित अभिकथन, आरोपी कर्मचारी के लिखित अभिकथन, गवाहों की गवाही एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के पूर्णरूपेण समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (3) के तहत सक्षम प्राधिकार के कार्यालय आदेश संख्या–100 दिनांक–13.02.2026 द्वारा सुश्री के० एम० राधा यादव से लिखित अभ्यावेदन माँगे जाने का निर्णय लिया गया।

5. सुश्री के० एम० राधा यादव द्वारा उक्त के आलोक में अपने बचाव में लिखित अभ्यावेदन दिनांक–06.05.2026 समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा अपने बचाव में बिन्दुवार सभी आरोपों के संदर्भ में तर्क/तथ्य प्रस्तुत करते हुए स्वयं को दोषमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

6. संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के आलोक में आरोपों का बिन्दुवार तार्किक विश्लेषण एवं सुस्पष्ट निष्कर्ष निम्नवत है :–

(i) पहले आरोप के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा कुछेक अंशों को छोड़कर आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। आरोपी कर्मी द्वारा अपने अभ्यावेदन में अमर्यादित/उल्टा–पुल्टा शब्द का उल्लेख नहीं होने आदि का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज किया गया है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ग्रिड उपकेन्द्र, बक्सर में पदस्थापित अन्य कर्मियों के लिखित बयानों/गवाहों के बयानों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि सुश्री राधा यादव का व्यवहार कार्यस्थल के अनुकूल नहीं था।

(ii) दूसरे आरोप के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। इस संबंध में आरोपी कर्मी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस आपातकाल (112) को सूचित किया गया।

उल्लेखनीय है कि सुश्री यादव द्वारा पुलिस को सूचित किये जाने के पूर्व इस संबंध में अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना नहीं दी गयी। वरीय पदाधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत कराये/विभागीय स्तर पर प्रयास किये बिना सीधे पुलिस बल को ग्रिड परिसर मे बुलाना प्रशासनिक शिष्टाचार के विपरीत है।

(iii) तीसरे आरोप के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण ज़ोन, पटना तथा विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, भोजपुर द्वारा बक्सर ग्रिड का व्यक्तिगत दौरा कर आरोपी कर्मी को व्यवहार में सुधार लाने हेतु समझाये जाने के संदर्भ में आरोपी कर्मी का यह कथन की उक्त बैठक के मिनट्स आधिकारिक रूप से संधारित नहीं हैं, स्वीकारयोग्य नहीं है क्योंकि वरिष्ठ पदाधिकारी/पदाधिकारियों द्वारा स्वयं ग्रिड का व्यक्तिगत दौरा करना और आरोपी कर्मी को अनुशासन बनाये रखने की हिदायत देना एक स्थापित प्रशासनिक तथ्य है, जिसे मात्र मिनट्स (MoM) के तकनीकी संधारण न होने के आधार पर झुठलाया नहीं जा सकता है।

(iv) चौथे आरोप के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा कुछेक अंशों को छोड़कर आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। आरोपी कर्मी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा व्हाट्सअप ग्रुप पर संदेश (164A) पोस्ट किया गया था तथा इस संबंध में यह तर्क दिया गया कि इसे 12 घंटे के भीतर 'Delete for Everyone' कर दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि 164A सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत एक संज्ञेय धारा है, अतः डिजीटल माध्यम पर ऐसा संदेश पोस्ट करना ही सहकर्मियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और डराने की मंशा को सिद्ध करता है। संदेश को बाद में डिलीट कर देने से कृत्य की गंभीरता कम नहीं होती।

(v) पाँचवें आरोप के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा कुछेक अंशों को छोड़कर आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। आरोपी कर्मी द्वारा दिया गया यह तर्क कि ग्रिड से बिजली की आपूर्ति कभी ठप नहीं हुई, अतः कार्य बाधित होने का आरोप निराधार है, स्वीकारयोग्य नहीं है।

"कार्य संचालन बाधित होने" का अर्थ केवल ग्रिड ट्रिपिंग नहीं है। कार्यस्थल पर निरंतर तनाव, भय, पुलिस का हस्तक्षेप और अविश्वास का माहौल भी तकनीकी दक्षता को प्रभावित करता है, जो कदाचार का आधार है।

(vi) आरोपों के संदर्भ में समर्पित उपरोक्त वर्णित आशय के कथन/तर्क के अलावा सुश्री राधा यादव द्वारा जाँच प्रक्रिया के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन तथा पूर्वाग्रह के लगाए गए आरोप की भी समीक्षा की गई। अभिलेखों से स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी को बचाव का लिखित बयान समर्पित करने, गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण का उचित अवसर प्रदान किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालित की गई है, अतः प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का दावा अस्वीकार्य है।

7. उपलब्ध अभिलेखों, साक्ष्यों तथा गवाहों के बयानों के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि सुश्री के०एम० राधा यादव एक सरकारी सेवक के रूप में अपेक्षित गरिमा तथा अनुशासन बनाए रखने में विफल रहीं, जो बिहार सरकारी सेवक, आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1) (iii) का उल्लंघन है।

8. अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम–14 (i) के तहत सक्षम प्राधिकार द्वारा सुश्री के०एम० राधा यादव (E15441), तदेन तकनीकी कोटि–I, संचरण अवर प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति तकनीकी कोटि–I, संचरण अवर प्रमंडल, शिवहर के द्वारा बरती गयी अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कदाचार के उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम–14 (i) के तहत आरोप की अवधि (2025) से निदंन की शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

9. तदनुसार, **"सुश्री के०एम० राधा यादव (E15441), तदेन तकनीकी कोटि–I, संचरण अवर प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति तकनीकी कोटि–I, संचरण अवर प्रमंडल, शिवहर के द्वारा बरती गयी अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कदाचार के उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम–14 (i) के तहत आरोप की अवधि (2025) से निदंन की शास्ति अधिरोपित की जाती है।"**

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक हस्ताक्षरित प्रति सुश्री के० एम० राधा यादव [E15441/1000883], तदेन तकनीकी कोटि–I, 132/33 के० वी० ग्रिड उपकेन्द्र, बक्सर सम्प्रति तकनीकी कोटि–I, 132/33 के० वी० ग्रिड उपकेन्द्र, शिवहर को हस्तगत करा दी जाए।

आदेश से,
ह०/–
(बजरंगी पासवान)
अवर सचिव

ज्ञापांक–..... **पटना,** **दिनांक**.....

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेश के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(बजरंगी पासवान)
अवर सचिव

ज्ञापांक–1907 **पटना,** **दिनांक** 11/06/26

प्रतिलिपिः– निदेशक (परिचालन)/निदेशक (परियोजना)/महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), BSPTCL/सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन/सभी उप महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/उप महाप्रबंधक (IT)/उप सचिव/सभी अवर सचिव, BSPTCL/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल/सभी सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, मुजफ्फरपुर एवं सुश्री के० एम० राधा यादव (E15441), तकनीकी कोटि–I, संचरण अवर प्रमंडल, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप महाप्रबंधक (IT) से अनुरोध है कि इसे कंपनी की वेबसाईट पर अपलोड करवाने की कृपा की जाय।

11/06/26
(बजरंगी पासवान)
अवर सचिव

11.06.26